

राजस्थान-सरकार  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी**

(पीठासीन अधिकारी कैम्प कॉर्ट) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र **अड़ाना**

**प्रशासन गांवों के संग  
 अभियान-2021**

प्रशासन गांवों के संग  
 अभियान-2021

-: आदेश :-

प्र0सं0 :- **205/2021**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का **अड़ाना**, भू अ0नि0 वृत्त **खिंडनी** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा **खडनाथपुर** तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्बन्ध **214** के खाता संख्या **214** में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<b>खडनाथपुर</b>	<b>214</b>	<b>बेशीलाल पुत्र लोखराम शहीर</b>	<b>बेशीलाल पुत्र लोखराम शहीर</b>



**सहायक कलक्टर  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 राशमी**

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(205)2021 दिनांक :- **18/01/21**

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री **बेशीलाल पुत्र लोखराम शहीर** को सूचनार्थ।

**18/01/21**  
**पटवारी**

**सहायक कलक्टर  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 राशमी**

